Tele : 26189210
Fax : 2618 3227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१,भीकाजीकामाप्लेस,
नईदिल्ली-११००६६
Trikoot-1, BhikajiCama Place,
New Delhi - 110066

भारतसरकार
सामाजिकन्यायएवंअधिकारितामंत्रालय
राष्ट्रीयपिछड़ावर्गआयोग
Government of India
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 'B' of the Constitution of India)

File No. NCBC/06/10/399/2020-CP **Date: 22.02.2021**

To,

1. The Secretary,
   Indian Nursing Council
   8th Floor , NBCC Center,
   Plot No. 2, Community Center
   Okhla Phase-I, New Delhi – 110020
   (Email: secy.inc@gov.in)

2. The Vice Chancellor,
   Punjab University,
   Chandigarh - 160014, India
   (E-mail: vc@pu.ac.in)

3. Director Principal,
   Government Medical College and Hospital,
   Sector-32, Chandigarh-160030.
   (Email: dpgmch-chd@gmch.gov.in)

Sub: In the matter of Dr. Ajay Prajapati and Shri Viney Yadav regarding non-allotment of seats in the Government Medical College and Hospital in Chandigarh to OBC students as per the provisions of reservation.

Sir,

I am directed to refer to hearing held on 12.02.2021 at 04:00 PM on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing for necessary action and furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

Encl: As above

Yours faithfully,

M.M. Chattopadhyay

(Dr. M.M. Chattopadhyay)
Joint Director (Admin)

F.No. NCBC/06/10/399/2020-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

डॉ. अजय प्रजापति एवं श्री विनय कुमार द्वारा प्राप्त शिकायत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, चंडीगढ़ में आरक्षण नियमों के अनुसार सीटों का वितरण न होने के सम्बन्ध में डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 12.02.2020 समय 04: 00 बजे अपराह्न सुनवाई नियत की।

बैठक मे उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव माननीय अध्यक्ष
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री वी. एस. आर. कृष्णन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल
2. श्री बी. बी. तलवार, पंजाब यूनिवर्सिटी, उप कुलसचिव
3. श्री सुशांत बातिश, विधि अधिकारी, पंजाब यूनिवर्सिटी
4. डॉ. जसबिंदर कौर, डायरेक्टर प्रिंसिपल, जी. एम. सी. एच.

शिकायतकर्ता:

1. श्री अजय प्रजापति

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:

श्री अजय प्रजापति, शिकायतकर्ता: महोदय, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, चंडीगढ़ में आरक्षण नियमों के अनुसार सीटों का वितरण न किये जाने के संबंध में मैंने आयोग में शिकायत की थी। दिनांक 26.10.2020 को आयोग द्वारा निदेशक प्रिंसिपल, जी. एम. सी. एच. को पत्र भेजा गया था जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने आयोग के समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत की थी कि जी. एम. सी. एच. में पंजाब यूनिवर्सिटी एवं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार आरक्षण दिया जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से उपस्थित अधिकारियों से आयोग शपथ पत्र पर यह जानना चाहता है कि किन नियमों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है?

श्री सुशांत बातिश, विधि अधिकारी, पंजाब यूनिवर्सिटी: यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ही शपथ पत्र पर कोई जानकारी दे सकते है, अतः आयोग से निवेदन है कि कुछ समय दे दिया जाए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने आप दोनों को ही अथॉरिटी लेटर देकर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार दिया है तो आप लिखकर दे सकतें है।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, चंडीगढ़ में आरक्षण के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?

डॉ. जसबिंदर कौर, डायरेक्टर प्रिंसिपल, जी. एम. सी. एच: हमारी स्टैंडिंग काउंसिल के मीटिंग में यह तय किया था कि आरक्षण किस प्रकार से दिया जायेगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप उसी स्टैंडिंग काउंसिल की मीटिंग का रेफेरेंस देते हुए शपथ पत्र पर लिख कर दीजिए कि किन नियमों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है?

डॉ. जसबिंदर कौर, डायरेक्टर प्रिंसिपल, जी. एम. सी. एच: मुझे थोडा समय दे दीजिए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: पंजाब यूनिवर्सिटी एवं जी. एम. सी. एच. की ओर से उपस्थित अधिकारी दिनांक 17. 02. 2021 शाम 05: 00 बजे तक शपथ पत्र पर आयोग के समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत करें कि किन नियमों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

सुनवाई के पश्चात् आयोग की अपेक्षा:

समस्त पक्षों पर चर्चा करने के पश्चात् डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने पंजाब यूनिवर्सिटी एवं जी. एम. सी. एच. की ओर से उपस्थित अधिकारियों से

यह अपेक्षा की है कि वे दिनांक 17. 02. 2021 शाम 05: 00 बजे तक आयोग के समक्ष शपथ पत्र पर यह जानकारी प्रस्तुत करें कि किन नियमों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अपेक्षित अधिकारियों से प्रतिउत्तर प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की जायेगी।

दिनाँक:
स्थान: नई दिल्ली

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग